Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांक: 07/08/2019

1. File No. BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III
2. File No. KAU/08/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

विषयः दिनांक 02–07–2019 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसुइया उईके द्वारा मध्य प्रदेश शासन, के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 02–07–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
7/8/2019
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री बी.एस.ठाकुर,म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
2. कुमारी अर्चना उइके मकान न. 46, फ्रेण्डस कालोनी, खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश)
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- KAU/8/2017/STGMP/SEHRMT/RU – III)

(F. No.- BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III)

कुमारी अर्चना उइके, 46, फ्रेंड्स कॉलोनी, खरजी रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र.) को अनुसूचित जनजाति के होने के कारण श्री अमित विजय पाठक, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर(म.प्र.) द्वारा आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन तथा श्री बी.एस.ठाकुर, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन, म.नं-613 लालमाटी सिद्ध बाबा रोड, हनुमान होटल, जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा कथित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 02.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

प्रकरण संख्या – 1

1. कुमारी अर्चना उइके, 46, फ्रेंड्स कॉलोनी, खरजी रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र.) को अनुसूचित जनजाति के होने के कारण श्री अमित विजय पाठक , संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर(म.प्र.) द्वारा आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. उपरोक्त प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 12.07.2018 को बैठक की गई थी जिसमें वित्त विभाग, मध्यप्रदेश के अधिकारी विजयलक्ष्मी बारस्कर, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा उपस्थित हुई थी। बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी।
    - संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, भोपाल द्वारा आवेदिका कुमारी अर्चना उइके को एक माह के भीतर 01 अगस्त 2016 से अभी तक का समस्त बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन आवेदिका को बकाया वेतन के भुगतान किए जाने के अपने आदेश के अनुपालन में कोताही करनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगे और दायित्व निर्धारित करें।

3. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 02.07.19 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मध्यप्रदेश शासन से श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, निदेशक, लोकल फंड ऑडिट उपस्थित हुईं।
4. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, कुमारी अर्चना उईके ने बताया कि उनका वेतन अगस्त 2016 से रूका था। पहले वित्त मंत्रालय ने वेतन भुगतान के आदेश दिए लेकिन वेतन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद उनका स्थानांतरण ग्वालियर कर दिया गया। उनका पदग्रहण समय 15 जून से 24 जून तक था। उनसे यह कहा जाता है कि वे 15 से 24 तक वहां नहीं थी। 22 को उनके पक्ष में आदेश आया था। कोर्ट ने कार्यमुक्ति और ट्रांसफर होने पर स्टे ऑर्डर दिया था।
5. म.प्र. शासन के अधिकारी ने बताया कि स्टे आने तक इनको स्टेशन से मुक्त कर दिया गया था। कोर्ट ने स्टे दिया था न कि आदेश को रद्द किया था इसलिए यह लागू नहीं है। इनको 14 जून 2017 को कार्यमुक्त का आदेश दिया चुका था। कोर्ट द्वारा स्टेट्स मैंटेन करने को कहा और जबलपुर में पुनः कार्यभार ग्रहण करने को कहा।

प्रकरण संख्या -2

1. श्री बी.एस.ठाकुर, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन, म.नं-613 लालमाटी सिद्ध बाबा रोड, हनुमान होटल, जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा कथित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत आयोग को अभ्यावेदन दिया था।
2. उपरोक्त प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 12.07.2018 को बैठक की गई थी जिसमें वित्त विभाग, मध्यप्रदेश के अधिकारी विजयलक्ष्मी बारस्कर, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा उपस्थित हुई थी। बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी।
   - इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी/अधिकारियों को शासन के नियमों के अनुरूप दंडित किया जाना उचित होगा। ऐसे अधिकारियों को नियमानुकूल दंडित करने से

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भेदभाव, अत्याचार और पीड़ा पहुंचाने पर अंकुश लगेगा।

3. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 02.07.19 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मध्यप्रदेश शासन से श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, निदेशक, लोकल फंड ऑडिट उपस्थित हुईं।

4. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, श्री बी.एस.ठाकुर ने बताया कि पिछले चार वर्षों से विभाग द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया। 28 फरवरी 2015 को उनका पीपीओ जारी हुआ। वर्ष 2014 में एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर में जिसका नाम दर्ज है उन्हें दो-दो बार पदोन्नति दिया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई जबकि उन्हें प्रताड़ित किया गया। विभाग द्वारा उनका पेंशन रोक दिया गया था।

5. म.प्र. शासन के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में इनका 100 फीसदी दावा का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। विभाग पर कोई देय नहीं है। पेंशन नियमित हो चुकी है। लोकायुक्त के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था।

6. दोनों मामलों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-

- कुमारी अर्चना उइके के प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा मामले की विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भेदभाव करनेवाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात अपने द्वारा की गई कार्यवाही से एक माह के अंदर अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- F. No.- KAU/8/2017/STGMP/SEHRMT/RU – III)

(F. No.- BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III)

कुमारी अर्चना उइके, 46, फ्रेंड्स कॉलोनी, खरजी रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र.) को अनुसूचित जनजाति के होने के कारण श्री अमित विजय पाठक , संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर(म.प्र.) द्वारा आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन तथा श्री बी.एस.ठाकुर, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन, म.नं-613 लालमाटी सिद्ध बाबा रोड, हनुमान होटल, जबलपुर, मध्यप्रदेश द्वारा कथित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	सुश्री अनुसुईया उईके,	माननीय उपाध्यक्ष
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री गौरव कुमार,	उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
(4.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी**

(1.)	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव,	निदेशक, लोकल फंड ऑडिट

- **अभ्यावेदक**

(1.) कुमारी अर्चना उइके

(2.) श्री बी.एस.ठाकुर